



Ref. No. KU/R/...489.../14

Date ...11.07.14.....

अधिसूचना

मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 5/स1-11/2014-040 दिनांक 04.07.14 के द्वारा इंस्टीच्यूट फॉर एजुकेशन, सरायकेला को बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निम्न सत्र के लिए अस्थायी नवसंबंधन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है:-

क्र0सं0	विषय	शैक्षणिक सत्र	अभियुक्ति
1	बी0एड0	2014-15	अस्थायी नवसंबंधन

अतः झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 4(19) के अधीन उपरोक्त सत्र एवं पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी नवसंबंधन के महाविद्यालय के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के साथ सहमति प्रदान की जाती है।

शर्तें:

1. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, पूर्व क्षेत्रीय कमिटी, भुवनेश्वर द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्रस्वीकृति रद्द करने अथवा वापस लेने की स्थिति में यह संबंधन स्वतः रद्द समझा जाएगा।
2. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, पूर्व क्षेत्रीय कमिटी, भुवनेश्वर द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्रस्वीकृति प्रदान की गयी है, उनमें निहित सभी शर्तों को महाविद्यालय सतत पूरा करेगा।
3. एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित 200 शिक्षक दिवस, जिसमें 40 दिन अभ्यास भी सम्मिलित है, का पालन महाविद्यालय के लिए अनिवार्य है तथा इसमें संबंधित प्रतिवेदन ससमय विश्वविद्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करेगा और उसके उपरान्त ही विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देगा।
4. छात्रों के नामांकन में एन0सी0टी0ई0, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्णतः पालन करेगा तथा नामांकन में आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन करेगा।
5. विभागीय संकल्प 1382 दिनांक 25.05.04 एवं इस संदर्भ में निर्गत अनुवर्ती परिपत्रों द्वारा नामांकन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का महाविद्यालय पूरा करता रहेगा।

कुलपति के आदेश से
ह0/-
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय
चाईबासा

पत्रांक सं0 KU/R/489/14

दिनांक 11.07.14

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, इंस्टीच्यूट फॉर एजुकेशन, सरायकेला
2. कुलपति/प्रातिकुलपति/कुलसचिव के सहायकों को उनके सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव के सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
4. संचिका में।

Seelabato
(डा0 डी0 एन0 महतो)
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय
चाईबासा
11.07.14



KOLHAN UNIVERSITY

JAIBASA, WEST SINGHBHUM

ARKHAND, PIN-833201

NTACT NO. - 06582-255274

f. No. KU/R/ 5274/15

Date 07.05.2015

अधिसूचना

मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 5/वि/-79/2014-दिनांक 07.05.2015 के द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में निम्नलिखित महाविद्यालयों को बी.एड पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2015-17 के लिए सशर्त तदर्थ संबंधन प्रदान किया जाता है :-

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम
1.	स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सालबोनी
2.	करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर
3.	आशु किस्कु एवं रवि किस्कु मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चांडिल
4.	नेताजी सुभाष इन्सटीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पोखारी
5.	इन्सटीच्यूट फॉर एजुकेशन, सरायकेला-खरसावां
6.	लोयोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जमशेदपुर
7.	जमिनि कांत बी.एड कॉलेज, सालबोनी

(क) यह संबंधन महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2015-17 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पुनरीक्षित प्रस्वीकृति मिलने के पश्चात, ही मान्य होगा।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 2014 में अंकित प्रावधानों, मापदंडों एवं शर्तों का शिक्षण संस्थान ससमय अनुपालन करेंगे।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा भविष्य में दिए जाने वाले मार्ग-दर्शन/निर्देशों का शिक्षण संस्थान अक्षरशः अनुपालन करेंगे।

(घ) महाविद्यालय NCTE में दाखिल शपथ पत्र में अंकित पाठ्यक्रम व दाखिला क्षमता के अनुपात निर्धारित सीटों पर राज्य सरकार के आरक्षण नियमानुसार नामांकन करेंगे।

(च) महाविद्यालय झारखण्ड राज्य वि०वि० अधिनियम 2000 (यथा संशोधित) में वर्णित सुसंगत धारा के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे।

(छ) NCTE अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों/निर्देशों के अनुपालन न किए जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय वैसे संस्थान की संबंधिता समाप्त किए जाने की प्रक्रिया आरम्भ कर सकता है।

कुलपति के आदेश से

ह०/-

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, सम्बंधित महाविद्यालय।
2. कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव के सहायकों को उनके सूचनार्थ।
3. विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
4. संचिका में।

PVC

07.05.2015
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

**KOLHAN UNIVERSITY**

CHAIBASA, WEST SINGHBHUM

JHARKHAND, PIN-833201

CONTACT NO. - 06582-255274

Ref. No. KUR/1/599/116

Date 10.05.2016

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 5/वि0 1-79/2014-1140, रॉची दिनांक 10.05.2016 के आलोक में झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम अद्यतन संशोधित की धारा 4(19) के अधीन निम्नांकित वि0 एड0 महाविद्यालयों के अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण प्रस्ताव पर निम्न संबन्धन अवधि के लिए नीचे वर्णित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	कॉलेज का नाम एवं पता	NCTE Recognition संबंधी पत्रांक/दिनांक एवं किस पत्र	संबन्धन अवधि
1	2	3	4
1.	इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, विजया, सरायकेला-खरसावाँ	32079 दि0 25.05.15	2016-18
2.	आशु किस्कु एवं रवि किस्कु मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लुपूगडीह, चांडिल	32369 दि0 29.05.15	2016-18
3.	जमिनीकांत महतो महाविद्यालय, सालबनी	32505 दि0 30.05.15	2016-18
4.	लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जमशेदपुर	32698 दि0 31.05.15	2016-18
5.	स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सालबनी	32330 दि0 28.05.15	2016-18
6.	करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर	35161 दि0 21.08.15	2016-18
7.	नेताजी सुभाष इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पोखारी, जमशेदपुर	32345 दि0 29.05.15	2016-18
8.	मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चक्रधरपुर	31750 दि0 20.05.15	2016-18

शर्त :- महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

(क) माँ वैष्णोदेवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या WP(c) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कंडिका -71 में अंकित निम्न निर्देशों का अनुपालन संबंधित महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन ससमय अद्योहरताक्षरी को उपलब्ध करायेगें। ताकि उक्त प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराया जा सके।

- छात्रों के नामांकन की पात्रता,
- परीक्षा का संचालन,
- विहित कोर्स के पूर्णताकी प्रक्रिया,
- एन0सी0टी0ई0 द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन।

- (ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गये कमियों/त्रुटियों की पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन ससमय करेंगे एवं प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगे ।
- (ग) AISHE portal पर data को upload कराना ।
- (घ) IQAC का गठन ।

कुलपति के आदेश से
ह०/-
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय,
चाईबासा ।

पत्रांक KU/R/599/16

दिनांक 10.5.16

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची ।
2. प्राचार्य, संबंधित न.उ.विद्यालय ।
3. कुलपति/कुलसचिव के सहायकों को उनके सूचनार्थ ।
4. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ ।
5. संचिका में ।


10.05.2016
(एस० सी० दाश)
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय,
चाईबासा ।

**KOLHAN UNIVERSITY**

CHAIBASA, WEST SINGHBHUM

JHARKHAND, PIN-833201

CONTACT NO. - 06582-255274

Ref. No. RMR/...7.43.../17

Date ...10.05.2017

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक 5/वि. 1-79/2014-1340, राँची दिनांक 09-05-2017 के आलोक में पाठ्यक्रम सत्र 2017-19, 2018-20 एवं 2019-21 के लिए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम अद्यतन संशोधित की धारा 4(19) के अधीन निम्नांकित बी० एड० महाविद्यालयों के अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रस्ताव पर निम्न संबंधन अवधि के लिए वर्णित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	NCTE Recognition संबंधी पत्रांक/ दिनांक
1	Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku TTC, Lupungdih, Chandil	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32369 दि०-29.05.2015
2	Madhusudan Mahto TTC, Chakradharpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-31750 दि०-20.05.2015
3	Jaminikant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32505 दि०-30.05.2015
4	Srinath College of Education, Adityapur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-45854 दि०-02.05.2016
5	Karim City College, Jamshedpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-35161 दि०-21.08.2015
6	Swami Vivekanand College of Education, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32330 दि०-28.05.2015
7	Jamini Kalyani Mahto College of Management, Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-46157 दि०-02.05.2016
8	Netaji Subhash Institute of Education, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32345 दि०-29.05.2015
9	Loyola College of Education, Jamshedpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32698 दि०-31.05.2015
10	Institute for Education, Seraikella-Kharsawan	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32079 दि०-25.05.2015

महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क) माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या— WP(C) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कंडिका-71 में अंकित निम्न निदेशों का अनुपालन संबंधित महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को ससमय उपलब्ध करायेंगे।

- छात्रों के नामांकन की पात्रता,
- परीक्षा का संचालन,
- विहित कोर्स के पूर्णता की प्रक्रिया,

Khaikun/AR Office

(iv) एन0सी0टी0ई0 द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन।

(ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गये कमियों/त्रुटियों की पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन।

(ग) AISHE portal पर data का upload.

(ग) IQAC का गठन।

कुलपति के आदेशानुसार

ह0/-

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।

दिनांक 10.5.2017

पत्रांक KV/R/743/17

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची।
2. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
2. कुलपति/प्रति कुलपति/कुलसचिव के सहायकों को उनके सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक /सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
4. संचिका में।


10.5.2017

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।



KOLHAN UNIVERSITY

CHAIBASA, WEST SINGHBHUM

JHARKHAND, PIN-833201

CONTACT NO. - 06582-255274

Ref. No. KU/R/947/20

Date 25/11/2020

अधिसूचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, (उच्च शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक DHE sec-5/AFFILIATION-COLLEGES-1/2020/HTESD-492 दिनांक 08.05.2020 एवं DHE sec-5/AFFILIATION-COLLEGES-1/2020/HTESD-986 दिनांक 16.09.2020 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अद्यतन स्टैच्यूट के प्रावधानों के आलोक में कडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन निम्न महाविद्यालयों को B.Ed पाठ्यक्रमों को सत्र 2020-22, 2021-23 & 2022-24 के लिए शर्ताधीन अस्थायी संबधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	अभियुक्ति
1.	Madhusudan Mahto Teachers Training College, Chakradharpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबधन दीर्घीकरण
2.	Jamini Kant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबधन दीर्घीकरण
3.	Srinath College of Education, Adityapur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबधन दीर्घीकरण
4.	Karim City College, Jamshedpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबधन दीर्घीकरण
5.	Swami Vivekanand College of Education, Salboni	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबधन दीर्घीकरण
6.	Jamini Kalyani Mahato College of Management, Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबधन दीर्घीकरण
7.	Loyola College of Education, Jamshedpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबधन दीर्घीकरण
8.	Institute for Education, Seraikella	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबधन दीर्घीकरण
9.	D.B.M.S. College of Education, Jamshedpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबधन दीर्घीकरण
10.	Rambha College of Education, Gitilata	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबधन दीर्घीकरण
11.	Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku Teachers Training Institute, Chandil	B.Ed	2020-22	इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि ससमय महाविद्यालय द्वारा NCTE से स्वीकृति प्राप्त कर ले जायेगी अन्यथा संबधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

शर्तें:-

1. महाविद्यालय, द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों एवं शर्तों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाएगा।
2. महाविद्यालय, पूर्व क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर द्वारा लगाये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
3. महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रनियम में वर्णित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
4. विभाग द्वारा महाविद्यालयों का कमी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार अनियमितता पाये जाने या NCTE/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
5. महाविद्यालयों को 02 वर्ष के अन्दर NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा।

आपांक KU/R/947/2020
प्रतिलिपि:

1. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
2. कुलपति / प्रतिकुलपति के सहायक को उनके सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक / उप कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
4. संविका में।

कुलपति के आवेशानुसार

ह0/-

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा
दिनांक 25/11/2020

25/11/20
कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।